रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232244
CG-DL-E-29122021-232244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 735] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 2021/पौष 8, 1943
No. 735] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021/PAUSA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

आयकर

सा.का.नि. 903(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10क की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (35वां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये 29 जुलाई, 2021 से प्रवृत्त होंगी ।

2. आयकर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है),के नियम 16घ के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"16घघ. धारा 10क की उप-धारा (1ख) के खंड (ख) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए आय की विवरणी के साथ दी जाने वाले विशिष्टियों का प्ररूप- -वे विशिष्टियां,जिसे धारा 10क की उप-धारा (1ख) के खंड (ख) के अधीन आय की विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा दी जानी अपेक्षित है प्ररूप संख्या 56 चच में होंगी।

3. मूल नियम के नियम 130 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "16घघ" अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) में, "56 चच" अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

4. मूल नियमों में परिशिष्ट II में, प्ररूप संख्या 56च के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप संख्या 56 चच

[नियम 16घघ देखें]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10क की उप-धारा (1ख) के खंड (ख) के अधीन दी जाने वाली विशिष्टियां

अ. विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान भत्ता आरक्षिति खाते का ब्यौरा (रुपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)
I	पात्र लाभों की वे रक़में, जो लाभ और हानि खाते नामे डाली गई है और विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान भत्ता आरक्षिति खाते में जमा की गई हैं।|		
	(i) को समाप्त होने वाले .... चालू पूर्व वर्ष के दौरान		
	(ii) को समाप्त होने वाले ......ऊपर (i) में वर्णित पूर्व वर्ष के ठीक पिछले पूर्व वर्ष के दौरान,		
	(iii) को समाप्त होने वाले ......ऊपर (ii) में वर्णित पूर्व वर्ष के ठीक पिछले पूर्व वर्ष के दौरान,		
	(iv) को समाप्त होने वाले ......ऊपर (iii) में वर्णित पूर्व वर्ष के ठीक पिछले पूर्व वर्ष के दौरान,		
	(v) कुल (i)+(ii)+(iii)+(iv)		
II	विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान भत्ता आरक्षिति खाते से निकाली गई रकम	पात्र प्रयोजन के लिए उपयुक्त	पात्र प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं
	(i) को समाप्त होने वाले .... चालू पूर्व वर्ष के दौरान		
	(ii) को समाप्त होने वाले ......ऊपर (i) में वर्णित पूर्व वर्ष के ठीक पिछले पूर्व वर्ष के दौरान,		
	(iii) को समाप्त होने वाले ......ऊपर (ii) में वर्णित पूर्व वर्ष के ठीक पिछले पूर्व वर्ष के दौरान,		
	(iv) को समाप्त होने वाले ......ऊपर (iii) में वर्णित पूर्व वर्ष के ठीक पिछले पूर्व वर्ष के दौरान,		
	(v) कुल (i)+(ii)+(iii)+(iv)		
III	को समाप्त होने वाले .... चालू पूर्व वर्ष के उस अंतिम दिन को विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान भत्ता आरक्षिति खाता में की बकाया शुद्ध रकम [II.(v)-I.(v)		

आ. विशेष आर्थिक जोन पुनर्विनिधान भत्ता आरक्षिति खाते से आहरित रकम में से क्रय किए गए नए संयंत्र/मशीनरी का ब्योरा

क्र.सं.	नए संयंत्र/मशीनरी का ब्योरा (मेक संख्या और माडल संख्या दें)	नए संयंत्र/मशीनरी के प्रदायकर्ता का नाम और पता।	संयंत्र/मशीनरी के अधिग्रहण की तारीख (तारीखें)	वह तारीख (तारीखें)जिसको नए संयंत्र/मशीनरी का सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी

सत्यापन

मै/हम.........................जो श्री ....का/के पुत्र ....हूँ/ हैं .... नामक उपक्रम का/के स्वामी/भागीदार/निदेशकहूँ/हैं,मेरा/हमारा [स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या].......... हैं और जो विशेष आर्थिक जोन में स्थित है,यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उक्त उपक्रम ने पूर्व वर्ष के दौरान ऊपर यथा वर्णित नया संयंत्र/ मशीनरी अर्जित कि है, जिसके लिए निर्धारिती द्वारा बनाए रखा गया आर्थिक जोन पुनर्विनिधान भत्ता आरक्षित खाता से रकम निकासी करके क्रय मूल्य का संदाय किया गया है ।

…………………………………………………………

तारीख: ……….

स्थान: .... उपक्रम के स्वामी/भागीदार/निदेशक के हस्ताक्षर,नाम और पता ।"।

[अधिसूचना संख्या. 140/2021/फा. सं. 370142/59/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 883 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन :- नियम 130 को 29 जुलाई, 2021 से लाया गया था जहां नियम 16घघ में उसके उप-नियम (1) और प्ररूप 56चच में उसके उप-नियम (2) के लिए दिया गया संदर्भ अनवधानता में उल्लेख किया गया था । बोर्ड का आशय नियम 16घघ और प्ररूप 56चच को चालू रखने की है। अत:,निरंतरता बनाए रखने के लिए भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रस्ताव है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देकर किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2021

INCOME-TAX

G.S.R. 903(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 10A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:─

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Income-tax (35th Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 29th day of July, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as principal rules), after rule 16D, the following rule shall be inserted, namely:—

"**16DD. Form of particulars to be furnished along with return of income for claiming deduction under clause (b) of sub-section (1B) of section 10A.**–The particulars, which are required to be furnished by the assessee along with the return of income under clause (b) of sub-section (1B) of section 10A shall be in Form No. 56FF."

3. In the principal rules, in rule 130,–

(a) in sub-rule (1), the figures and letters "16DD" shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), the figures and letters "56FF" shall be omitted.

4. In the principal rules, in Appendix II, after Form No. 56F, the following Form shall be inserted, namely:–

"**Form No. 56FF**

[See rule 16DD]

Particulars to be furnished under clause (b) of sub-section (1B) of section 10A of the Income-tax Act, 1961

A. Details of Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account (in rupees)

(1)	**(2)**	(3)	(4)
I	Amounts of eligible profits debited to the profit and loss account and credited to the Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account:		
	(i) During the current previous year ending on ….		
	(ii) During the previous year, immediately preceding the previous year mentioned at (i) ending on ….		
	(iii) During the previous year, immediately preceding the previous year mentioned at (ii) ending on …..		
	(iv) During the previous year immediately preceding the previous year mentioned at (iii) ending on ….		
	(v) Total (i)+(ii)+(iii)+(iv)		
II	Amounts withdrawn from the Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account:	Used for eligible purposes	Not used for eligible purposes
	(i) During the current previous year ending on ….		
	(ii) During the previous year, immediately preceding the previous year mentioned at (i) ending on…		
	(iii) During the previous year, immediately preceding the previous year mentioned at (ii) ending on….		
	(iv) During the previous year, immediately preceding the previous year mentioned at (iii) ending on….		
	(v) Total amounts withdrawn (i)+(ii)+(iii)+(iv)		
III	Net amount outstanding the Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account on the last day of the current previous year ending on …. [II.(v)–I.(v)]		

B. Details of new plant/machinery purchased out of amounts withdrawn from Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account

S. No.	Details of the new plant/ machinery (give Make Number and Model Number)	Name and address of the supplier of the new plant/ machinery	Date(s) of acquisition of plant/ machinery	Date(s) on which the new plant/ machinery was first put to use

Verification

I/We,…. s/o………………….. being proprietor/partner/director of the undertaking named ……. having [Permanent Account Number or Aadhaar Number] …… situated in the Special Economic Zone ……. Verify that the said undertaking during the previous year, acquired the new plant/ machinery, as mentioned above for which the purchase price has been paid by making withdrawal from the Special Economic Zone Reinvestment Allowance Reserve Account maintained by the assessee.

…………………………………….

Date: ………………. Signature, Name and Address of

Place: ..………….. the proprietor/partner/director of the undertaking.".

[Notification No. 140 /2021/F. No. 370142/59/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 883 (E), dated 27th December, 2021.

Explanatory Memorandum:– Rule 130 was brought into force from the 29th day of July, 2021 where reference to rule 16DD in sub-rule (1) thereof and Form 56FF in sub-rule (2) thereof were inadvertently mentioned. The intention of the Board is to continue with the rule 16DD and Form 56FF. Hence, it is proposed to give retrospective effect to maintain continuity. It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA